

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 948 सन 2021

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरपत पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नेतराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हंसराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. ओमप्रकाश पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. साहबराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रभूराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. छोटूराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सरोज पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राकेश पुत्र कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सुनिता पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
11. सुमन पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
12. निर्मला पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
13. संतोष पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 230/207 की कुल 4.0480हैक् रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 324/290 की कुल 2.2770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मलुराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मलुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मलुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्री के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि को बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मलुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 230/207 की कुल 4.0480हैक् रोही मौजा चक 5 ए बरानी के खाता संख्या 324/290 की कुल 2.2770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मलुराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मलुराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मलुराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 230/207 की कुल 4.0480हैक् भूमि में हरपत का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 3-3 बीधा भूमि व प्रतिवादी संख्या 5,6 दोनो 1-1 बीधा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 2 बीधा भूमि रहेगी व रोही मौजा चक 5 ए बरानी के खाता संख्या 324/290 की कुल 2.2770हैक् भूमि में हरपत का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नीहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरपत पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नेतराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हंसराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. ओमप्रकाश पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. साहबराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रभूराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. छोटूराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सरोज पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राकेश पुत्र कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. सुनिता पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
11. सुमन पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
12. निर्मला पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
13. संतोष पुत्री कलावती पुत्री हरपत जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 948 सन 2021 निर्णय दिनांक- 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 230/207 की कुल 4.0480 हैक् भूमि में हरपत का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 3-3 बीधा भूमि व प्रतिवादी संख्या 5, 6 दोनो 1-1 बीधा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 2 बीधा भूमि रहेगी व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 324/290 की कुल 2.2770 हैक् भूमि में हरपत का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर